न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 87/18

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1गोपालसिंह पुत्र नाथूसिंह 2गुलाब कंवर पुत्री नाथूसिंह 3गायत्री कंवर पुत्री नाथूसिंह जातियान राजपूत निवासीगण कुचामन तहसील कुचामन जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 14.12.18

1. संक्षिप्त में मामलें का तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय के सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) (नया कानून) सरकार बनाम प्रतापसिंह में निर्णय दिनांक 19.4.02 के विरूद्व राजस्व मंडल में अपील/सीलिंग/4733/2003 इस्माइल पुत्र नजीर के का. मु. बनाम राज. सरकार व अपील/सीलिंग/3069 व 3434/2003 हरीसिंह पुत्र प्रतापसिंह के का.मु. बनाम प्रतापसिंह प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय क्रमशः दिनांक 17.12.15 व 16.12.15 के द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.04.02 निरस्त करते हुए प्रकरण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदत्त करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश पारित करते हुए रिमाण्ड किया गया है। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थीयान द्वारा उजरदारी प्रार्थना पत्र मूल सीलिंग प्रकरण में दिनांक 22.02.18 को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में यह प्रार्थना पत्र प्रत्यास्थापन के लिये प्रस्तुत किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब दिनांक 23.04.18 को प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम पनवाडी संवत 2035 से 2038 खसरा नं. 12 मिन रकबा 15 बीघा बहक नाथूसिंह, नकल नामान्तरकरण सं. 77 ग्राम पनवाडी स्वीकृति दिनांक 20.10.77 की प्रति, नकल खतौनी की फोटोप्रति ग्राम पनवाडी संवत 2031 से 2035 की प्रति पेश की गई।

2. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा बताया कि–

2(1). प्रार्थीगण के पिता नाथू सिंह पुत्र जेत सिंह राजपूत कुचामन सिटी की ग्राम पनवाडी में खातेदारी अधिकारों की भूमि गत खसरा नं. 12 मि रकबा 15 बीघा वर्तमान खसरा नं. 96 रकबा 2.42 हैक्ट. भूमि आयी हुई है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(2). उक्त आराजी के संबंध में पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा राज. कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 संक्षेप 1973 का अधिनियम अथवा नवीन सीलिंग अधिनियम की धारा 23 (2क) के अधीन निर्धारिती राजा प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह साकिन कुचामन के विरूद्व कार्यवाही कर दिनांक 19.4.02 को सिवाय चक घोषित कर दी गई।

2(3). न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के कारण गत खसरा नं. 12 की 2.42 हैक्टर की खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि के अधिकार अभिलेख में फेरफार कर ग्राम पनवाडी के नामान्तरकरण सं. 140 द्वारा सीलिंग प्रकरण में सिवाय चक अंकित कर दी गई।

2(4). उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राज. राजस्व मंडल अजमेर में की गई अपील में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.4.02 को निरस्त कर पुनः विचारण हेतु न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित की गई है।

2(5). नामान्तरकरण सं. 140 दिनांक 05.02.2003 के मौजूदा अंकन के कारण सीलिंग प्रकरण में सिवाय चक दर्ज कर देने के कारण गत खसरा नं. 12 के नवीन खसरा नं. 96 रकबा 2.42 हैक्टर की कृषि भूमि को राज्य सरकार अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को आंवटन कर देने पर खातेदार कृषक नाथूसिंह के विधिक वारिसान प्रार्थीगण को बेवजह जैरबार होना पडेगा और इससे वाद बाहुलता का विस्तार होगा और खातेदार नाथूसिंह के वारिसान प्राथीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडने के कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधाओं व हानि का सामना करना पडेगा। इसलिये पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय के कारण राजस्व रेकर्ड में किये गये फेरफार कर प्रत्यास्थान किया जाकर पुनः राजस्व रेकर्ड में पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

2(6). न्यायालय हाजा में विचाराधीन मूल सीलिंग प्रकरण सरकार बनाम प्रतापसिंह वगैरा में प्रार्थीगण द्वारा बहुत ही मजबूत आधार पर एक उजरदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है।

2(7). प्रार्थीगण के पिता नाथूसिंह पुत्र जेतसिंह राजपूत को न्यायालय सहायक कलक्टर परबतसर के राजस्व वाद सं. 9/76 निर्णय दिनांक 29.06.77 के द्वारा विधिवत सुनवाई पश्चात राजकीय भूमि सिवाय चक दर्ज थी। राजा प्रतापसिंह की खातेदारी भूमि नही थी।

2(8). वकील प्रार्थीगण द्वारा बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि किसी भी प्रकार से सीलिंग की विषय वस्तु नही रही है क्योंकि उक्त भूमि न्यायालय सहायक जिलाधीश परबतसर के आदेश क्रमांक 77 दिनांक 01.7.77 की पालना में जरिये नामान्तरकरण सं. 77 के प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज हुई थी। तत्पश्चात राजकीय भूमि दर्ज थी, ना कि एसेसी प्रतापसिंह के नाम दर्ज थी। इस प्रकार उक्त भूमि की खातेदारी एसेसी प्रतापसिंह से हस्तान्तरित होकर प्राप्त नही हुई है, बल्कि पुरातन कब्जे के आधार पर भूमि की खातेदारी न्यायालय के आदेश से दर्ज हुई है एवं सीलिंग कार्यवाही के अन्तर्गत भी प्रार्थीगण से अवाप्त की गई है। जबकि मूल सीलिंग प्रकरण में उक्त भूमि का कोई विवेचन या अधिग्रहण का आदेश नही था।

2(9). इसके साथ ही यह अभिवचन भी कर रहे है कि यदि मूल सीलिंग प्रकरण में वाद सुनवाई उक्त भूमि सीलिंग से प्रभावित मानी जावेगी तो प्रार्थीगण की उक्त भूमि भार

अपर कलक्टर, नागौर

रहित / भार सहित जैसी भी स्थिति होगी राज्य सरकार की समझी जावेगी।

2(10). वकील प्रार्थीगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मूल आदेश दिनांक 19.4.02 माननीय राजस्व मंडल द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा सीलिंग नियमों में अधिग्रहीत भूमि यदि किसी को आंवटन कर दी जाती है तो भी उसे धारा 144 सीपीसी के तहत मूल खातेदार को प्रत्यास्थापन किया जा सकता है तथा माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ का निर्णय 1980 आरआरडी 670 व इसके पश्चात वृहद पीठ का निर्णय 1980 आरआरडी 355 में स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया जा चुका है कि अधिग्रहण का आदेश अपास्त कर यदि प्रकरण रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई विचाराधीन है तो भी प्रत्यास्थापन (Restitution) की कार्यवाही की जावेगी तथा अपने कथन के समर्थन में उक्त नजीरे व 1966 SC 948 की ओर ध्यान दिलाया।

3. राजकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि नामान्तरकरण सं. 140 के द्वारा आराजी गत खसरा नं. 12 हाल खसरा नं. 96 रकबा 2.42 हैक्ट. भूमि सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 सरकार बनाम प्रतापसिंह में पारित निर्णय दिनांक 19.4.02 के द्वारा सिलिंग अधिशेष घोषित होने पर सिवाय चक दर्ज की गई है। उक्त निर्णय दिनांक 19.4.02 माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण भिजवाया गया। जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उक्त भूमि को लेकर रिमाण्ड प्रकरण न्यायालय हाजा में विचाराधीन रहते हुए आराजी को किसी अन्य को आंवटन किये जाने की कोई संभावना नही है तथा न ही इस प्रकरण में अत्यावश्यक कार्यवाही की जावे ऐसे कोई तथ्य भी नही है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना चाहिये।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मूल सीलिंग प्रकरण सं. 4/16 (47/87) (9/79) (नया कानून) सरकार बनाम प्रतापसिंह का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मूल सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) नया कानून सरकार बनाम प्रतापसिंह के का.मु. में निर्णय दिनांक 19.04.2002 के द्वारा ग्राम पनवाडी के गत खसरा नं. 12 मि रकबा 15 बीघा वर्तमान खसरा नं. 96 रकबा 2.42 हैक्ट. भूमि सीलिंग अधिशेष दिनांक 19.4.02 को घोषित की गई है। उक्त गत खसरा नं. 12 मि रकबा 15 बीघा वर्तमान खसरा नं. 96 रकबा 2.42 हैक्ट. भूमि अधिग्रहित होना तहसीलदार के जवाब से भी प्रकट है। नामान्तरकरण सं. 140 के द्वारा उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज किया गया है। माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 16.12.15 व 17.12.15 के अनुसार इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.4.02 को निरस्त करते हुए मूल सीलिंग प्रकरण इस न्यायालय को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु रिमाण्ड किया गया है। जो पक्षकारो की सुनवाई में लम्बित है तथा वर्तमान में आराजी भूमि सिवाय चक दर्ज है। जिसको अन्य किसी को आवंटन की स्थिति में विवाद/मुकदमेबाजी बढने की आशंका भी बनी रहती है तथा आराजी भूमि यदि सीलिंग अधिग्रहण में आती है तो प्रार्थीगण वापिस देने हेतु सहमत भी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के लंबित रहने के दौरान रिकार्ड मे पूर्व स्थिति कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मूल सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) सरकार बनाम प्रतापसिंह में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक

अपर कलक्टर, नागौर

16.12.15 को पारित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.04.02 को अपास्त कर दिया है। इस प्रकार अब इस न्यायालय के आदेश के आधार पर आराजी भूमि को लेकर पारित नामान्तरकरण का प्रभाव नही रहा है। जब मूल निर्णय ही अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है, तो प्रार्थीगण का 144 सी.आर.पी. सी. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर के संदर्भ में प्रकरण प्रत्यास्थापन के योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.04.2002 के तहत ग्राम पनवाडी के गत खसरा नं. 12 मि रकबा 15 बीघा वर्तमान खसरा नं. 96 रकबा 2.42 हैक्ट. भूमि नामान्तरकरण सं. 140 जिसके द्वारा सिवाय चक दर्ज किया गया है, जिससे संबंधित नामान्तरकरण सं. 140 से पूर्व की स्थिति अनुसार गत खसरा नं. 12 मि रकबा 15 बीघा वर्तमान खसरा नं. 96 रकबा 2.42 हैक्ट. भूमि हेतु राजस्व रेकर्ड में स्थिति पूर्ववत बहाल कर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावे। यह आदेश मूल सीलिंग प्रकरण के अध्याधीन रहेगा। आदेश की एक प्रति मूल सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) सरकार बनाम प्रतापसिंह के साथ रखी जावे। पालना जारी हो।

6. आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/12/18

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर